



क्रमांक / 1948 / गोप./अ.सा.प्र./2015,

बिलासपुर, दिनांक- 17 APR 2015

// अधिसूचना //

कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 27/3/2015 में लिए गए निर्णय के संबंध में प्रसारित अधिसूचना क्रमांक 37/बैठक प्रकोष्ठ/2015 दिनांक 16/4/2015 के अनुपालन में परीक्षा अनुशासन समिति (Examination Discipline Committee) द्वारा विषम सेमेस्टर परीक्षा 2014-15 के अनुचित साधन प्रयोग के प्रकरणों पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

- 1/ छात्र राजेश कुमार- बी.काम. आनर्स -प्रथम सेमेस्टर अनुक्रमांक- 14301339 को समिति ने श्रेणी ' सी ' का दंड अनुशंसित किया है ।
- 2/ छात्र अमित गौरव- बी.टेक. प्रथम वर्ष 'ए' सेमे.(आई.पी.इंजी.) अनुक्रमांक- 13105002 को समिति ने श्रेणी 'सी' का दंड अनुशंसित किया है ।
- 3/ छात्रा रूपल गुप्ता-बी.टेक. प्रथम वर्ष 'ए'कोर्स (कम्प्यूटर साइंस इंजी.) को समिति ने श्रेणी 'सी' का दंड अनुशंसित किया है ।

श्रेणी 'सी' के अंतर्गत प्रावधानित दण्ड निम्नानुसार है :-

**Cancellation of Examination, be permitted to appear in the next full examination with all subject .**

- 4/ छात्र प्रकाश चंद बलीवाल, बी.टेक. सप्तम सेमे. (केमिकल इंजी.) अनुक्रमांक-111107, को समिति ने श्रेणी 'एच' का दंड अनुशंसित किया है ।
- श्रेणी 'एच' के अंतर्गत प्रावधानित दण्ड निम्नानुसार है :-

**The Examination Discipline Committee is of opinion that student be punished by Cancilling his paper titled "Transport Phenomena" .**

आदेशानुसार,

परीक्षा नियंत्रक(कार्यवाहक)

बिलासपुर, दिनांक- 17 APR 2015

पृ.क्रमांक / 1949 / गोप./अ.सा.प्र./2015,

प्रतिलिपि:-

- 1/ कुलपति/कुलसचिव जी के सचिव/निज सहायक को कुलपतिजी/कुलसचिव जी के सूचनार्थ ।
- 2/ निदेशक, प्रौद्योगिकी संस्थान, गु.घा.वि.वि. बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 3/ विभागाध्यक्ष, संबंधित विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 4/ अधिष्ठाता, छात्र कल्याण/उप- कुलसचिव (परीक्षा) को सूचनार्थ ।
- 5/ अनुभाग अधिकारी/संबंधित प्रभारी, परीक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 6/ संबंधित परीक्षार्थी को सूचनार्थ ।
- 7/ विभागाध्यक्ष, संगणक संस्थान की ओर विश्वविद्यालय वेबसाइट में अपलोड करने हेतु प्रेषित ।
- 8/ जनसंपर्क अधिकारी, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

सहायक कुलसचिव(गोपनीय)